


संशोधित आदेश


निदेशालय के आदेश कमांक प.2(6781)/84 दिनांक 06.02.2018 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 2782/2018 ललित किशोर करइ बनाम राज्य सरकार व अन्य, में लेखाधिकारी मुख्यालय को केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, के स्थान पर संस्थापन अधिकारी (नर्सिंग) मुख्यालय को केस प्रभारी अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी मुख्यालय को अतिरिक्त केस प्रभारी अधिकारी एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक: प.2(6781) निचिस्वा/विधि/2018/85 दिनांक :- 7/2/2018

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण ग्रामीण नर्सग्रेड-2 से संबंधित है, की तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्र तैयार करवाकर संबंधित केस प्रभारी अधिकारी एवं राजकीय अधिवक्ता को भिजवायें ताकि उनके द्वारा माननीय न्यायालय में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत कराया जा सकें।
2. संस्थापन अधिकारी (नर्सिंग) मुख्यालय को केस प्रभारी अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी मुख्यालय को अतिरिक्त केस प्रभारी अधिकारी को याचिका की प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारी से सम्पर्क कर पैरावाईज तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख सहित तत्काल श्री संजीव सिंघल, डिप्टी गवर्नेमेन्ट कौंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से सम्पर्क कर प्रकरण में विभाग की ओर से अविलम्ब माननीय न्यायालय में जवाब पेश करवाकर, माननीय न्यायालय में हुई कार्यवाही/प्रगति एवं सुनवाई दिनांक से निरन्तर अवगत कराते रहें। तथा प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट्स की वेबसाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करें।
3. पूर्व केस प्रभारी अधिकारी लेखाधिकारी मुख्यालय।
4. डॉ० धनश्याम बैरवा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एवं स्टैन्डिंग केस प्रभारी अधिकारी मुख्यालय। (राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर)
5. श्री संजीव सिंघल, डिप्टी गवर्नेमेन्ट कौंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
7. सूचना सहायक, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वांछित सूचना अविलम्ब लाईट्स/सूची में दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये,
राजस्थान, जयपुर।